न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 34 / 2017 (राजसमन्द डिक्री)

रामलाल गुर्जर पिता जगन्नाथ गुर्जर, निवासी गांव काकरोद, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. सुआलाल पिता प्रताप जी नाई, निवासी गांव काकरोद, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
दिनांक 22.03.2017 प्र.सं. 103 / 02

———/———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री प्रदीप कुमार अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय **दिनांक 22–01–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी / अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी / रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता जगु पिता सवाईराम को दिनांक 28–06–1967 को ग्राम काकरोद में राज्य सरकार द्वारा 2 बीघा भूमि आवंटित की गयी तथा दिनांक 18–01–1975 को खसरा नंबर 203 से 2 बीघा भूमि आवंटित की गयी, जिसके वादी के पिता ने काबिल काश्त बनाया, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने उपखण्ड कार्यालय में रद्दोबदल की कार्यवाही की, जिसमे वादी के पिता की भूमि खसरा नंबर 349 / 203 रकबा 2 बीघा एवं खसरा नंबर 203 रकबा 2 बीघा को प्रतिवादी को तथा प्रतिवादी की खसरा नंबर 383 / 104 रकबा 2 बीघा वादी के पिता को देने की कार्यवाही करा कर दिनांक 25–06–1977 को रेकार्ड में वादी के पिता की 4 बीघा भूमि प्रतिवादी ने अपने नाम करा ली

तथा प्रतिवादी की 2 बीघा भूमि वादी के पिता के नाम करा दी, जो वादी के पिता की जानकारी में नहीं रही तथा प्रतिवादी ने 2 बीघा के बदले 4 बीघा भूमि हड़प ली, जो आफिस कर्मचारियों की मिली भगत से कांट–छांट कर 2 के बदले 4 बीघा की गयी। वादी के पिता पिछले 25 वर्षो से वादी की सलाह के बगौर कोई काम नहीं करते। वादी के पिता की मृत्यु दिनांक 30–08–2010 को होने पर विरासत का नामान्तकरण खुलने पर पता चला कि उसकी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सुआ के नाम दर्ज है। निवेदन किया कि खसरा नंबर 349/203 रकबा 2 बीघा व खसरा नंबर 203 रकबा 2 बीघा वादी के खाते दर्ज कराने तथा खसरा नंबर 383/104 रकबा 2 बीघा प्रतिवादी के खाते दर्ज कराने की डिक्री तथा विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

उपरोक्त वाद प्रस्तुत होने पर सरकार की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत हुआ तथा आदेश को विधि सम्मत होने का कथन किया। प्रकरण में दिनांक 21–05–2012 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश हुए। प्रकरण में दिनांक 06–08–2012 को निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया जगु पिता सवाईराम को खसरा नंबर 349/203 में रकबा 2 बीघा तथा खसरा नंबर 203 में 2 बीघा भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटित कर कब्जा दिया गया तथा प्रतिवादी को खसरा नंबर 383/104 में 2 बीघा भूमि आवंटित की गयी ?..... वादी
2. यह कि प्रतिवादी ने वादी के पिता से अपनी 2 बीघा जमीन के बदले वादी की 4 बीघा भूमि का रद्दोबदल करा दिया, जिसमें कांट–फांस कर 2 बीघा भूमि के बदले 4 बीघा भूमि गलत रूप से रद्दोबदल कर दी गयी ? ..... वादी
3. आया वाद मियाद सीमा में प्रस्तुत नहीं होने से चलने योग्य नहीं है ? ..... प्रतिवादी
4. दादरसी ?

प्रकरण में दिनांक 20–03–2013 को विपक्षी संख्या 1 की ओर से एकतरफा निरस्ती का आवेदन पेश किया गया, जिस पर दिनांक 30–05–2013 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश को निरस्त किया गया तथा प्रकरण प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावे में नियत किया गया।

दिनांक 20–11–2014 को वादी की ओर से आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात का विक्रय प्रतिवादी सुआलाल ने वाद के दौरान दिनांक 18–12–2013 को लक्ष्मणलाल को कर दिया है, अतएंव लक्ष्मणलाल को पक्षकार संस्थित किया जावे।

प्रकरण में दिनांक 09–12–2014 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह निवेदन किया रद्दोबदल की कार्यवाही वादी के पिता ने ही की एवं प्रतिवादी की जमीन उपजाउ एवं गांव के नजदीक होने से वादी के पिता ने उक्त भूमि अपने नाम करानी चाही एवं वादी के पिता की भूमि दूरस्त व अनुपयोगी होने से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रद्दाबदल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिससे उक्त रद्दोबदल की कार्यवाही हुई एवं कब्जा सिपुर्द किया गया, किन्तु वादी के मन में बदनियती आ जाने से उसके द्वारा करीब 33 वर्षो बाद झूठे तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किया जावे।

प्रकरण में दौराने कार्यवाही दिनांक 16–04–2015 को प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी जिस भूमि का रद्दोबदल चाहता है वह भूमि रामलाल चौधरी, चीमनाराम चौधरी, भंवरलाल चौधरी, गणपतलाल जैन के नाम चल रही है, जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त वाद मात्र खातेदार ही प्रस्तुत कर सकता है, वादी को किसी प्रकार से अब अन्य व्यक्ति के नाम हस्तान्तरित भूमि प्रतिवादी के नाम कराने का अधिकारी नहीं है। वादी के पिता जगन्नाथ द्वारा रद्दोबदल की कार्यवाही की गयी है, जिसके वादी के अलावा और भी वारिसान है, जिन्हें भी वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी एवं प्रतिवादी दोनों ही भूमियां अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर चुके हैं, न तो वादी खातेदार है न ही प्रतिवादी, इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है।

उपरोक्त आवेदन के खण्डन का जवाब वादी द्वारा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अब इस स्तर पर नहीं चल सकता, क्योंकि प्रकरण में तनकीयात कायम हो चुकी हैं। अतएवं आवेदन खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 22–03–2017 से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–06–2017 को पेश की गयी है।

नकल आवेदन दिनांक 23–03–2017 को पेश किया गया है, जिसकी नकल वादी को दिनांक 16–05–2017 प्राप्त हुई है। अतएवं नकल दिये जाने में हुए विलम्ब के दृष्टिगत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर दर्ज रजिस्टर की गयी तथा रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील के लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उचित बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने केवल वकील प्रतिवादी की बहस सुनकर ही निर्णय कर दिया है, जबकि प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिए था। जो तथ्य वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर ही निर्धारित होते हैं, उन पर आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह प्रकट आया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि वादी अधिनस्थ न्यायालय में यह वाद लेकर आया है कि उसके पिता की 4 बीघा भूमि का विनिमय प्रतिवादी संख्या 1 की 2 बीघा के साथ करने का आदेश वर्ष 1977 में किया गया है, जिसमें कांट–फांस है। आश्चर्य जनक रूप से अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उक्त आदेश पेश नहीं हुआ है,

परन्तु अपील में उक्त आदेश दिनांक 25–06–1977 की फोटो प्रति पेश हुई है, जिसे पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि विनिमय में वादी को 2 बीघा तथा प्रतिवादी को 4 बीघा भूमि दी गयी है। आश्चर्य जनक रूप से यह भी स्पष्ट आया है कि वर्ष 1977 में ही उक्त विनिमय की क्रियान्विती होकर भूमियों दोनों के खाते में पृथक–पृथक प्रविष्ट हो गयी तथा विनिमय में प्राप्त आराजी जो कि वादी को 2 बीघा प्राप्त हुई, उक्त भूमि का विक्रय भी उसके द्वारा अन्य को कर दिया गया। आश्चर्य जनक रूप से वादी जिस भूमि के विनिमय को चुनौती देता है तथा विनिमय में प्राप्त भूमि का विक्रय कर देता है तो यह माना जाना पूर्णतया विधिक है कि वादी/अपीलान्ट को उक्त विनिमय आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार की आपत्ति उठाने की अधिकारिता नहीं है तथा वह स्टोप्ड है। प्रकरण में यह भी प्रकट आया है कि वादी द्वारा क्रेतागणों को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा प्रतिवादी द्वारा भी भूमियां अन्य को विक्रय कर दी गयी हैं, उन्हें भी पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है तथा उनके तथ्य छिपाकर वाद प्रस्तुत किया है। स्पष्टया वह जिस विनिमय को स्वीकार कर चुका है उसे अब पुनः विवादित किये जाने के लिए वह विधि अनुसार स्टोप्ड है। स्पष्टया विधि विरूद्ध एवं अस्वच्छ हाथों से लाये गये मिथ्या वाद को चलाये जाने की कोई उपादेयता नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद खारिज करने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की गयी है एवं अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–03–2017 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

रामलाल गुर्जर पिता जगन्नाथ गुर्जर, निवासी गांव काकरोद, तह0 देवगढ़, जिला राजसमन्द बनाम **सुआलाल पिता प्रताप जी नाई, निवासी गांव काकरोद, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**34 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**देवगढ़**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**22**.....माह.....**03**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**.....माह.....**01**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री प्रदीप कुमार**....मिनजानिब अपीलान्ट व ..... **श्री संजय बोहरा** .....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–03–2017 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**22**.....माह.....**01**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।